Govt.of MadhyaPradesh

मध्य प्रदेश शासन

Office of the Field Director

Panna Tiger Reserve

Panna, Madhya Pradesh, (India)

Phone No. +917732-252135 (O) **Fax,** +917732-252120
E-mail: fdptr82@gmail.com **Website:** www.pannatigerreserve.in

Panna Tiger Reserve

पन्ना टाईगर रिजर्व

प्रेस नोट

अवैध शिकार का सरगना संसार चन्द की मृत्यु हुई परन्तु पन्ना क्षेत्र में शिकार के प्रकरण और जटिल होते नजर आ रहे है।

हाल ही में विगत एक माह से कम अवधि में कम से कम 4 अलग – अलग शिकार के प्रकरण प्रकाश में आये हैं, जिसमें से 02 प्रकरण तेंदुए के शिकार से सम्बन्धित थे। तेंदुए से सम्बन्धित शिकार प्रकरणों में व्यापारात्मक उद्देश्य से सम्बन्धित गिरोह का काम नजर आ रहा है। वन विभाग के लाखों प्रयासों के बावजूद शिकार के प्रकरणों का सिलसिला थमते नजर नहीं आ रहा है।

दिनांक 19.03.2014 को पन्ना टाइगर रिजर्व के असूचना तंत्र के माध्यम से प्रकाश में आये एक शिकार के प्रकरण में पन्ना पुलिस विभाग थाना मड़ला के सहायोग से नाकाबंदी कर

स्कार्पियो वाहन क्रमांक एम.पी. 09／व्ही 6797 को रोकने पर उसमें वाहन चालक सहित 03 व्यक्ति वाहन में सवार थे, जिनके नाम विक्रम सिंह बुन्देला सल्द सुमिरत सिंह बुन्देला जो ग्राम घटोरा जिला छतरपुर के निवासी हैं। इनकी माताराम इस ग्राम की सरपंच भी हैं। इसी वाहन में श्री गुलाब सिंह परमार वल्द चतुर सिंह परमार, जो ग्राम काटी जिला छतरपुर एवं हरी सिंह उर्फ सोनू, जो वाहन का ड्राइवर है, सवार थे। मौके का फायदा उठा कर श्री विक्रम सिंह बुन्देला मौके से फरार होने में सफल हो गया। विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि आरोपियों के द्वारा नियमित रूप से जंगली जानवरों का शिकार करना व बेचना एक नियमित व्यापार के रूप में संचालित किया जा रहा है। इस प्रकार के अवैध शिकार के व्यापारिक प्रकरण में उपरोक्त के अतिरिक्त लिप्त निम्न आरोपियों के नाम सामने आये हैं :–

1. मुलायम सिंह परमार निवासी मकरी कोठार थाना देवेन्द्रनगर,
2. राम सुजान गोंड निवासी मकरी कोठार थाना देवेन्द्रनगर
3. किशोरी प्रजापति निवासी मकरी कोठार थाना देवेन्द्रनगर
4. श्रीमती बस्तिया गोंड निवासी मकरी कोठार थाना देवेन्द्रनगर
5. छोटे गोंड ग्राम मकरी निवासी मकरी कोठार थाना देवेन्द्रनगर
6. उत्तम सिंह ठाकुर उर्फ हल्के राजा निवासी मकरी कोठार थाना देवेन्द्रनगर
7. राम स्वरूप गोंड, ग्राम सुनहरा (लक्ष्मीपुर के पास)

प्रकरण में उपरोक्त व्यक्तियों की संलिप्तता का विवरण निम्नानुसार है :–

1. मुलायम सिंह परमार– शिकार करने व मांस बेचने वाला है। यह वर्तमान में वन समिति का अध्यक्ष होने के साथ–साथ पूर्व में ये इसी ग्राम के कई बार सरपंच भी रह चुके हैं। मौके पर जो मांस जप्त हुआ है, वह मात्र 50% है। सुअर के गोश्त को वे आपस में बांट लिये हैं, शेष 50% का व्यापार हुआ है। विगत 5 वर्ष में इस प्रकार का पहला व्यापार से सम्बन्धित प्रकरण प्रकाश में आया है। ऐसे और भी कई प्रकरण हुए होंगे, जो प्रकाश में नहीं आये हैं, यह सोचने की बात है।

2. विक्रम सिंह बुन्देला सल्द सुमिरत सिंह बुन्देला जो ग्राम गरोठा जिला छतरपुर के निवासी हैं। इनकी माताराम इस ग्राम की सरपंच भी हैं। संभवतः यह व्यक्ति इस व्यापार में लंबे समय से करोबार कर रहे है।
3. श्री गुलाब सिंह परमार – मुलायम सिंह का सगा भाई है व व्यापार में लिप्त है।
4. छोटे गोंड, उत्तम सिंह एवं राम स्वरूप– मौके से जंगली सुअर को झोपड़ी पर आना और उसे काटने में लिप्त है। मकरी एवं सुनहरा से सम्बन्धित सभी आरोपी इस गोश्त को लिये हैं।
5. हरी सिंह यादव– इस व्यापार में संलिप्त आदमी है।

प्रकरण पर मौके पर जांच करने पर पाया गया है कि मौके पर जंगली सुअर शिकार करने के साथ–साथ विगत कुछ ही दिनों के अन्तराल में मौके पर सेही का भी शिकार किये जाने के प्रमाण मिले हैं। मुलायम सिंह परमार के घर में की गई जप्ती में लगभग 01 घनमीटर सागौन की लकड़ी जप्त हई है। विक्रम सिंह बुन्देला के द्वारा मुलायम सिंह परमार को शिकार की खरीद फरीद की धन राशि सौपने की बात सामने आयी है। प्रकरण में मुलायम सिंह के घर से गांजा भी जप्त हुआ है, जो कि पुलिस विभाग को नियमित जांच हेतु वन विभाग द्वारा सौपा गया है। उक्त शिकार का प्रकरण उत्तर पन्ना वन मण्डल के देवेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मकरी कोठार में मुलायम सिंह परमार के खेत में घटित हुआ है। पी.ओ.आर. क्रमांक 571/22 दिनांक 20.03.2014 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है एवं विवचेना जारी है। प्रकरण के 10 आरापियों में से अभी तक 06 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक मौके से फारार हुए। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में पुलिस विभाग की भूमिका एवं योगदान उत्कृष्ठ रहा है। प्रकरण की विवेचना एवं अन्य फरार आरोपियों की तलाश पुलिस विभाग, एवं वन विभाग (पन्ना टाइगर रिजर्व एवं उत्तर पन्ना वन मण्डल) के विशिष्ट दलों की मदद से जारी है। इस क्षेत्र के शिकार प्रकरणों से निपटने की दिशा में बुन्देलखण्ड माटी के सभी आम एवं खास से इस प्रेस नोट के माध्यम से वन्य प्राणी संरक्षण हेतु आग्रह किया जाता है।

''जय हिन्द''

दिनांक – 21.03.2014

क्षेत्र संचालक
पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना

E:\Desktop Matter\Pressnote 21.03.2014\Press Note-21.03.2014.doc